भारत सरकार

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्रालय

(खेल विभाग)

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 654

उत्तर देने की तारीख 6 फरवरी, 2024

17 माघ, 1945 (शक)

खेल सुविधाओं का विकास

654. श्री मलूक नागरः

क्या युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) सरकार द्वारा देश के पिछड़े क्षेत्रों में खेल सुविधाएं विकसित करने और खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने संबंधी प्रस्तावित योजना का ब्यौरा क्या है;

(ख) वार्षिक खेल प्रतियोगिताओं में युवाओं में सामूहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने संबंधी सरकार की योजना का ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा खेलों से संबंधित गलत प्रबंधन, सामाजिक और आर्थिक विषमताओं तथा अवसंरचना की कमी जैसी समस्याओं के समाधान के लिए किए गए प्रयासों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक किए गए सुधारों का ब्यौरा क्या है ?

उत्तर

युवा कार्यक्रम और खेल मंत्री

(श्री अनुराग सिंह ठाकुर)

(क) से (ख): 'खेल' राज्य का विषय होने के कारण खेल सुविधाओं का संवर्धन और उनका विकास करना तथा देश के पिछड़े क्षेत्र में खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने की जिम्मेदारी मुख्यरूप से संबंधित राज्य/संघ राज्य सरकारों की होती है। तथापि, यह मंत्रालय पिछड़े क्षेत्रों जो युवाओं व समाज के सभी वर्गों की आवश्यकताओं को पूरा करता है के साथ-साथ देश भर में विभिन्न खेल प्रोत्साहन स्कीमें चला रहा है।

इन स्कीमों में निम्नलिखित शामिल हैं: (i) खेलो इंडिया–राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम; (ii) खेल परिसंघों (एनएसएफ) को राष्ट्रीय सहायता; (iii)अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं और उनके विजेताओं व प्रशिक्षको को विशेष पुरस्कार; (iv) राष्ट्रीय खेल पुरस्कार; (v) मेधावी खिलाड़ियों को पेंशन; (vi) पंडितदीन दयाल उपाध्याय राष्ट्रीय खेल कल्याण निधि; (vii) राष्ट्रीय खेल विकास कोष; और (viii) भारतीय खेल

प्राधिकरण (साई) के माध्यम से खेल प्रशिक्षण केंद्र चलाना। इन स्कीमों का विवरण मंत्रालय की वेबसाइट पर सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है।

खेलो इंडिया स्कीम के राष्ट्रीय खेल विकास कार्यक्रम के तहत विभिन्न प्रतियोगिताएं जैसे खेलो इंडिया यूथ गेम्स, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स, खेलो इंडिया विंटर गेम्स और खेलो इंडिया पैरा गेम्स का आयोजन खिलाड़ियों मे सामुहिक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए किया जाता है। इसके अलावा, एनएसएफ से मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय चैंपियनशिपों का भी आयोजन किया जाता है।

मंत्रालय यह सुनिश्चित करता है कि मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय खेल परिसंघों सहित खेल निकाय एनएसएफ के पदाधिकारियों की आयु और कार्यकाल सम्बंधि बाध्यताओं, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराने, खिलाड़ियों के हितों की सुरक्षा आदि के संबंध में राष्ट्रीय खेल विकास संहिता 2011 के बुनियादी और प्रमुख सिद्धांतों का पालन करें।

इसके अतिरिक्त खेल विभाग की विभिन्न स्कीमो का लक्ष्य खेल संस्कृति को बढ़ावा देना और देश में खेल उत्कृष्टता प्राप्त करना व इसके व्यापक प्रभाव के माध्यम से देश की जनता को खेल की शक्ति का उपयोग करने का मौका देना है। ये युवाओं के बीच खेल के व्यापक आधार पर ध्यान केंद्रित कर देश भर में खेल गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं।

इसके अतिरिक्त, खिलाड़ियों को उनकी तैयारी के लिए सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की जाती हैं, जिसमें खाद्य संपूरक, उपकरण सहायता, अत्याधुनिक अवसंचरचना, आवास, यात्रा, प्रतिष्ठित सेवाएँ भारतीय और विदेशी कोचों/सहायक स्टाफ की सेवाएं, वैज्ञानिक एवं चिकित्सा सहायता, खेल किट, आदि शामिल हैं। देश मे उपलब्ध मौजूदा खेल अवसंरचना सुविधाएं समाज के विभिन्न वर्गों से बड़ी संख्या में आने वाले खिलाड़ियों की जरूरतों को पूरा करने की पर्याप्त क्षमता रखती हैं।

*****